

डिग्री बमुकदमें ईबादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-191/2019

अनिल कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी ढाणी चक 9 केएचआर वार्डनं0  
01, खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

- 1.ओमप्रकाश पुत्र तिलकुराम जाति जाट निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
- 2.सुशीला पत्नी सुभाष पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रोहिताश चाहर वकील वादी मिन जाकिन मुदई श्री अरविन्द नैण प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज चकनं0 2 एसबीएन के खाता सं0 18/14 के प0न0 220/206 मु0 38 किलानं0 6,15,16,25, प0न0 221/206 मु0 39 किलानं0 11,20,21 कुल 1.771 है0 नहरी कृषि भूमि मय गै0मु0 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार रिकार्ड में अंकन करने चकनं0 2 एसबीएन के खाता सं0 18/14 में से प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....अदा करें।

वसव्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...26.08.2019...को जारी किया गया।

(मीनू वर्मा)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी